रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32) नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 1967/फाल्गुन 2, 1888
No. 32] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 1967/PHALGUNA 2, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 21st February 1967

No. 20(2)-Tar/66.—In modification of paragraph 6 of the Ministry of Commerce Resolution No. 20(2)-Tar/66 dated the 27th August, 1966, Government of India extend the period for the submission of the Report on the price structure of coal/coke by the Tariff Commission from "six months" to "nine months".

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1967

सं० 20(2)-टै०/66:—वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं० 20(2)टैरिफ/66, दिनांक 27 अगस्त 1966 के पैराग्राफ 6 में संशोधन करके भारत सरकार, टैरिफ आयोग द्वारा कोयला/कोक के कीमत ढांचे की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की अवधि को बढ़ाकर "छै मास" से "नौ मास" करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और उसकी एक प्रति सब सम्बद्धों को भेज दी जाए ।

आर० एस० तलवार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967